गृह मंत्रालय

मांग संख्या 54

गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		25.25	973.80	999.05	14.00	1423.60	1437.60	27.00	1087.99	1114.99
पूंजी		*...*	*26.20*	*26.20*	*...*	*16.80*	*16.80*	*...*	*12.01*	*12.01*
जोड़		**25.25**	**1000.00**	**1025.25**	**14.00**	**1440.40**	**1454.40**	**27.00**	**1100.00**	**1127.00**
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
पुनर्वास										
1. श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास	3601	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00
2. जम्मू और कश्मीर के विस्थापितों को राहत और पुनर्वास	3601	...	110.00	110.00	...	210.00	210.00	...	210.00	210.00
3. अन्य देशों से स्वदेश लौटे व्यक्ति	2235	...	2.14	2.14	...	59.14	59.14	...	48.24	48.24
	3601	...	5.20	5.20	...	5.42	5.42	...	5.20	5.20
	जोड़	*...*	*7.34*	*7.34*	*...*	*64.56*	*64.56*	*...*	*53.44*	*53.44*
4. अन्य पुनर्वास कार्यक्रम	3601	...	51.99	51.99	...	346.61	346.61	...	86.99	86.99
जोड़-पुनर्वास		**...**	**204.33**	**204.33**	**...**	**656.17**	**656.17**	**...**	**385.43**	**385.43**
5. स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ										
5.01 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना	2235	...	550.05	550.05	...	559.46	559.46	...	550.06	550.06
5.02 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुफ्त रेलवे पास	2235	...	35.00	35.00	...	30.17	30.17	...	35.00	35.00
	जोड़	*...*	*585.05*	*585.05*	*...*	*589.63*	*589.63*	*...*	*585.06*	*585.06*
जेलें										
6. जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण	3601	...	67.00	67.00	...	67.00	67.00	...	5.00	5.00
नागर विमानन										
7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	30.00	30.00
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
8. जम्मू और कश्मीर में कर्जदारों के लिए कर्ज राहत योजना	3475	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	...	...
9. अन्य मदें	2056	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
	2070	...	28.51	28.51	...	20.20	20.20	...	14.50	14.50
	2075	...	0.08	0.08	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
	2250	0.25	1.10	1.35	1.00	2.10	3.10	2.00	2.10	4.10
	जोड़	*0.25*	*30.69*	*30.94*	*1.00*	*23.35*	*24.35*	*2.00*	*17.65*	*19.65*
10. आपदा प्रबंध										
10.1 प्राकृतिक विपदाओं के लिये राहत	2245	25.00	61.71	86.71	13.00	62.43	75.43	25.00	64.85	89.85
10.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध पर पूंजी परिव्यय	4250	...	26.20	26.20	...	16.80	16.80	...	12.01	12.01
	जोड़	*25.00*	*87.91*	*112.91*	*13.00*	*79.23*	*92.23*	*25.00*	*76.86*	*101.86*
कुल जोड़		***25.25***	***1000.00***	***1025.25***	***14.00***	***1440.40***	***1454.40***	***27.00***	***1100.00***	***1127.00***

ग. आयोजना परिव्ययः-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	22245	25.00	...	25.00	13.00	...	13.00	25.00	...	25.00
2. अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	0.25	...	0.25	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
जोड़		**25.25**	**...**	**25.25**	**14.00**	**...**	**14.00**	**27.00**	**...**	**27.00**

पुनर्वासः

1. **श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास :** भारत श्रीलंका करारों के अंतर्गत, श्रीलंका में जिन भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, उन्हें भारत में प्रत्यावर्तित किया जाना है और राहत एवं पुनर्वास सहायता दी जानी है। यह बजट प्रावधान इन प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए है और इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, रीपैट्रिएट कोऑपरेटिव फाइनेंस डिवलपमेंट बैंक को सहायता एवं ऋण प्रदान किया जाना तथा उनके पुनर्वास के कार्य में संलग्न राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण एवं अग्रिम राशि दिया जाना शामिल है। प्रावधान का बड़ा हिस्सा श्रीलंका से आकर शिविरों में रह रहे शरणार्थियों को राहत सहायता प्रदान करने तथा स्टाफ व्यय के लिए भी है।

2. **जम्मू एवं कश्मीर के प्रवासियों के लिए राहत एवं पुनर्वासः** ये निधियां कश्मीरी प्रवासियों तथा जम्मू एवं कश्मीर में सीमावर्ती प्रवासियों को राहत प्रदान करने, आतंकवादी हमलों/सीमापार से गोलीबारी में मारे गए नागरिकों के नजदीकी रिश्तेदारों, विशेष पुलिस अधिकारियों, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के कार्मिकों तथा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों को अनुग्रह राहत प्रदान करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु हैं। इन निधियों का प्रयोग कश्मीरी प्रवासियों, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के कारण विधवा हुई औरतों एवं अनाथों के पुनर्वास तथा अन्य राहत उपायों एवं समर्पण नीति आदि के लिए भी किया जाता है।

3. **अन्य देशों से प्रत्यावर्तित व्यक्तिः** इसमें तिब्बत, भूतपूर्व पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों पर व्यय शामिल है। यह योजना भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के लिए भूमि के अधिग्रहण तथा स्वत्व विलेखों का संवितरण करने के लिए है। इसमें भारतीय कैदियों के अन्य देशों से होने वाले प्रत्यावर्तन के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।

4. **अन्य पुनर्वास कार्यक्रमः** इसमें भारत-पाक युद्ध, 1971 के पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण उपायों के लिए प्रावधान है। इसमें रियांग शरणार्थियों, बोडो-संथाल संघर्ष के पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास तथा त्रिपुरा, असम एवं मिज़ोरम के पूर्वोत्तर राज्यों को राहत एवं पुनर्वास सहायता प्रदान करने के प्रावधान भी शामिल हैं। 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए बढ़ाए गए मुआवज़े संबंधी व्यय को वहन करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता तथा असम समझौते के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रावधान भी इसके अंतर्गत रखे गए हैं।

5. **स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं अन्य लाभः** 1972 में शुरू की गई स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना को समय-समय पर उदार बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत, पूर्व अंडमान राजनैतिक कैदियों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन प्रदान की जाती है। इसमें गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों तथा हैदराबाद की तत्कालीन निजाम रियासत का भारत संघ में विलय करवाने के लिए किए गए संघर्ष में भाग लेने वाले व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान करने का प्रावधान भी शामिल है।

6. **जेल प्रशासन का आधुनिकीकरणः** इसमें जेलों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त जेलों के निर्माण की कमियों को दूर करने, मौजूदा जेलों की मरम्मत एवं नवीकरण करने, सफाई की व्यवस्था एवं जलापूर्ति में सुधार करने तथा जेल स्टाफ के लिए रिहायशी आवास मुहैया कराने संबंधी प्रावधान हैं। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में लागत बंटवारे के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों को पांच वर्ष की अवधि के लिए नकद एवं वस्तु रूप में सहायता अनुदान प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सब्सिडीः** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन के लिए सब्सिडी का भुगतान करने का प्रावधान है।

8. **जम्मू एवं कश्मीर में उधार लेने वाले व्यक्तियों के लिए ऋण राहत योजनाः** इसमें जम्मू एवं कश्मीर के ऋण लेने वाले व्यक्तियों को आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में ऋण राहत प्रदान करने का प्रावधान शामिल है। इस योजना के अंतर्गत व्यापार, पर्यटन, यातायात एवं लघु उद्योग में उधार लेने वाले उन सभी व्यक्तियों के बकाया ऋणों को बट्टे खाते में डाला जाना है जिनके द्वारा उधार के रूप में ली गई मूल राशि 30 जून, 1996 को 50,000/-रुपये तक अथवा उससे कम थी।

9. **अन्य मदें:** इसमें जागीरों के एवज में पेंशन, राष्ट्रीय एकता की योजनाएं, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के लिए रक्षा मंत्रालय को व्यय की प्रतिपूर्ति, राष्ट्रीय पहचान-पत्र योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विज्ञापन एवं प्रचार आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं। इसमें असम समझौते के अंतर्गत अशोक पेपर मिल्स के पुनरुत्थान संबंधी प्रावधान भी शामिल है।

10. **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधनः** यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम संबंधी व्यय (प्राकृतिक आपदाएं एवं मानव-जनित आपदाएं दोनों) के लिए, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों को साहित्य प्रकाशित करने/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है। इसमें मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं परामर्श सेवाएं, अध्ययन, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ प्रलेखन एवं सम्पर्क जैसे क्षमता-निर्माण कार्यक्रम के लिए दी जाने वाली सहायता भी शामिल है। इसमें राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना, यूएसएआईडी आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना, यूएनडीपी-आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं। इसमें आपदा पीड़ितों को अनुग्रह सहायता, भूकंप पीड़ितों को राहत एवं आपदा प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें बनाने संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं।